मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,
राजीव गॉंधी बहुउद्देशीय काम्प्लैक्स, पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड़, देहरादून–248001
Website:- www.tcp.uk.gov.in
टेलीफोन:– 0135–2652216
फैक्स :– 0135– 2652234
e-mail:-splan-tcpd-uk@nic.in

पत्रांकः 3055 / नग्रानि / बॉयलाज / 2019

दिनांकः 03 अक्टूबर 2019

सेवा में,

सचिव,
आवास,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार उपविधि को अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक–27.09.2019 को बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समय–समय पर निर्गत संशोधन सम्बन्धी शासनादेशों के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुये उपविधि में आवश्यक संशोधन किया गया। अवगत कराना है कि संशोधन की कार्यवाही अन्तर्गत कतिपय शासनादेशों में टंकण त्रुटियॉ दृष्टिगोचर हुये जिन का बिन्दुवार विवरण शासन के अवलोकनार्थ / विचारार्थ निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. शासनादेश सं0–39 / V–2–2019–55 (आ0) / 2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के परिशिष्ट–1 में दी गयी तालिका के कॉलम–3 में 2.3(1) के स्थान पर 2.5(1) टंकित है। जिसे संशोधित उपविधि के प्रारुप के पृष्ठ संख्या–7 में संशोधित कर 2.3(1) कर दिया गया है।
2. शासनादेश सं0–39 / V–2–2019–55 (आ0) / 2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 की तालिका–1 पर्वतीय क्षेत्र में इको रिजार्टस के प्लॉट साइज (4.2) अन्तर्गत वर्तमान उपविधि में निर्धारित न्यूनतम भू–खण्ड क्षेत्रफल 7500 वर्गमीटर के स्थान पर 750 वर्गमीटर टंकित है। संशोधित न्यूनतम भू–खण्ड क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर पूर्व निर्धारित न्यूनतम भू–खण्ड क्षेत्रफल (7500 वर्गमी0) का 1/10 है।
3. शासनादेश सं0–39 / V–2–2019–55 (आ0) / 2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 की तालिका–2 मैदानी क्षेत्र में अधिकतम भवन ऊँचाई (5.1) के कॉलम में Motel के लिये 1 मीटर टंकित है।
4. शासनादेश सं0–1037 / V–2–2019–55 (आ0) / 2006–टी0सी0 दिनांक 26 अगस्त, 2019 के परिशिष्ठ–1 में दी गयी तालिका के कम संख्या–5 के कॉलम–1 में उल्लिखित अध्याय–VII के बिन्दु 7.3 ( VIII ) के स्थान पर 7.8 टंकित है। इसी प्रकार कॉलम–3 में बिन्दु संख्या 7.3(IX) के स्थान पर 7.9 टंकित है। उल्लेख करना है कि उपविधि के बिन्दु 7.9 में मल्टीप्लैक्स का प्राविधान दिये गये हैं जबकि प्रश्नगत संशोधन बिन्दु संख्या–7.3 से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग के प्राविधान दिये गये है।

उपरोक्त 1 एवं 4 में वर्णित टंकण त्रुटियों को संशोधित उपविधि प्रारुप में यथा स्थान संशोधित कर उपविधि के अद्यतन करते हुये प्रारुप की Hard एवं Soft copy अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। साथ ही निवेदन है कि उक्त संशोधित उपविधि प्रारुप का परीक्षण उडा एवं प्राधिकरण स्तर से भी करवाया जाना उचित होगा।

भवदीय,

( टी0लेप्चा )
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (प्रभारी)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– 1– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा को उक्त प्रारुप बॉयलाज संशोधन की साफ्टकॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण को उक्त प्रारुप बॉयलाज संशोधन की साफ्टकॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– सहयुक्त नियोजक,गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को उनके पत्रांक–673 दिनांक 03.10.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

03/10/19

( टी0लेप्चा )
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (प्रभारी)

आज दिनांक 4/10/19 को सचिव (आवास) महो- की बैठक में लिये निर्णय (CTP, AP) के क्रम में प्रेषित।

Luc-2019 P

834
4/10/19

Scanned by CamScanner